## 14.02.17

अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अधिवक्ता श्री एच.एस. शुक्ला। प्रतिवादी कमांक 4, 5 व 6 अनिवार्हित।

प्रकरण में वादीगण अनुपस्थित हैं। अतः आदेश 17 नियम 3,2 सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अधीन वाद निरस्त किया जाता है।

किया जाता है। उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगें जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण परिणास अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / – गोपेश गर्ग 1–सी.जे.–2.,गोहद

ATTARIA PARETO STATE OF STATE